

29.042024:—आज पत्रावली पेशी मे आई । प्रार्थी वकील उपस्तिथ नही आए । वादी का मूल वादपत्र अदम/हाजरी मे खारिज हो गया । मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती । मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो

सत्यमेव जयते

Dunjo
सहायक कलमकार
एवं उपाध्यक्ष अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

